

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, फूलियाकला जिला भीलवाड़ा (राज.)
पीठासीन अधिकारी - राजकेश मीना (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या - 175/2022

उनवान

- 1 शान्तिलाल पिता मूलचन्द सुनार उम्र वयस्क निवासी कोठिया तहसील फूलियाकला जिला, भीलवाड़ा
- 2 अजू पुत्री मूलचन्द सुनार उम्र वयस्क निवासी कोठिया तहसील फूलियाकला जिला, भीलवाड़ा
- 3 गुणबाला पुत्री मूलचन्द सुनार उम्र वयस्क निवासी कोठिया तहसील फूलियाकला जिला, भीलवाड़ा
- 4 गोपाल लाल पिता मूलचन्द सुनार उम्र वयस्क निवासी कोठिया तहसील फूलियाकला जिला, भीलवाड़ा
- 5 चान्दमल पिता मूलचन्द सुनार उम्र वयस्क निवासी कोठिया तहसील फूलियाकला जिला, भीलवाड़ा
- 6 प्रेम पुत्री मूलचन्द सुनार उम्र वयस्क निवासी कोठिया तहसील फूलियाकला जिला, भीलवाड़ा
- 7 पार्वती पुत्री मूलचन्द सुनार उम्र वयस्क निवासी कोठिया तहसील फूलियाकला जिला, भीलवाड़ा
- 8 बाबूलाल पिता मूलचन्द सुनार उम्र वयस्क निवासी कोठिया तहसील फूलियाकला जिला, भीलवाड़ा
- 9 मुन्नी पुत्री मूलचन्द सुनार उम्र वयस्क निवासी कोठिया तहसील फूलियाकला जिला, भीलवाड़ा
- 10 शान्ति पुत्री मूलचन्द सुनार उम्र वयस्क निवासी कोठिया तहसील फूलियाकला जिला, भीलवाड़ा
- 11 केसर बाई पत्नि जगदीश सुनार उम्र वयस्क निवासी कोठिया तहसील फूलियाकला जिला, भीलवाड़ा
- 12 गोपाल पिता जगदीश सुनार उम्र वयस्क निवासी कोठिया तहसील फूलियाकला जिला, भीलवाड़ा
- 13 गणेश पिता जगदीश सुनार उम्र वयस्क निवासी कोठिया तहसील फूलियाकला जिला, भीलवाड़ा
- 14 इन्द्रा पुत्री जगदीश सुनार उम्र वयस्क निवासी कोठिया तहसील फूलियाकला जिला, भीलवाड़ा
- 15 माया पत्नि किशन सुनार उम्र वयस्क निवासी कोठिया तहसील फूलियाकला जिला, भीलवाड़ा
- 16 शुभम पुत्र किशन सुनार उम्र वयस्क निवासी कोठिया तहसील फूलियाकला जिला, भीलवाड़ा
- 17 अणद पुत्र किशन सुनार उम्र वयस्क निवासी कोठिया तहसील फूलियाकला जिला, भीलवाड़ा
- 18 सांवर मल पिता मदनलाल सुनार उम्र वयस्क निवासी कोठिया तहसील फूलियाकला जिला, भीलवाड़ा
- 19 कमला देवी पत्नि मदनलाल सुनार उम्र वयस्क निवासी कोठिया तहसील फूलियाकला जिला, भीलवाड़ा
- 20 सरोज पुत्री मदनलाल सुनार उम्र वयस्क निवासी कोठिया तहसील फूलियाकला जिला, भीलवाड़ा
- 21 कुन्ती पुत्री मदनलाल सुनार उम्र वयस्क निवासी कोठिया तहसील फूलियाकला जिला, भीलवाड़ा
- 22 सुन्दर पुत्री मदनलाल सुनार उम्र वयस्क निवासी कोठिया तहसील फूलियाकला जिला, भीलवाड़ा
- 23 गुडडी पुत्री मदनलाल सुनार उम्र वयस्क निवासी कोठिया तहसील फूलियाकला जिला, भीलवाड़ा

बनाम

—(प्रार्थीगण)

- 1 सम्पत सिंह पिता उग्रसिंह जैन उम्र वयस्क निवासी कोठिया तहसील फूलियाकला जिला, भीलवाड़ा
- 2 गोपाल पिता हजारी दरोगा उम्र वयस्क निवासी कोठिया तहसील फूलियाकला जिला, भीलवाड़ा
- 3 मुकेश पिता हजारी दरोगा उम्र वयस्क निवासी कोठिया तहसील फूलियाकला जिला, भीलवाड़ा
- 4 मोहनलाल पिता श्रीकिशन दरोगा उम्र वयस्क निवासी कोठिया तहसील फूलियाकला जिला, भीलवाड़ा
- 5 सांवरिया पिता मदन सुनार उम्र वयस्क निवासी कोठिया तहसील फूलियाकला जिला, भीलवाड़ा
- 6 गणपत पिता कन्हैयालाल ब्राहमण उम्र वयस्क निवासी कोठिया तहसील फूलियाकला जिला, भीलवाड़ा
- 7 महावीर पिता कन्हैयालाल ब्राहमण उम्र वयस्क निवासी कोठिया तहसील फूलियाकला जिला, भीलवाड़ा
- 8 भूमिधारी तहसीलदार फूलियाकला जिला भीलवाड़ा

उपस्थित-

—(अप्रार्थीगण)

प्रार्थीगण अधिवक्ता- श्रीमती मदीना बानू


प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 128, रा.भू.राजस्व अधिनियम 1956 बाबत कराने पत्थरगढ़ी आराजीयात

निर्णय

दिनांक - 05.04.2023


प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 रा.भू.राजस्व अधिनियम 1956 इस न्यायालय मे दिनांक 14.12.2022 का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वाके ग्राम कोठिया पटवार मण्डल कोठिया भू.अ.नि. अरवड तहसील फूलियाकला मे उसके खाते की कृषि भूमि खतौनी संख्या 309 के आ.न. 540, 541 किता 2 रकबा 1.03 हैक्टर, भूमि स्थित हैं। उक्त वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण पड़ोसीगण/सहखातेदारान हैं। प्रार्थी एवं विपक्षीगण के मध्य आराजीयात के सीमा चिह्न नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता हैं। जिससे कि प्रार्थी अपने खाते की कृषि भूमि की पत्थरगढ़ी कराना चाहता हैं। प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाकर पत्थरगढ़ी का आदेश प्रदान कराया जावे।

प्रस्तुत प्रार्थनापत्र इस न्यायालय मे दिनांक 21.12.2022 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगणों को वजह जाहिर करने हेतु नोटिस जारी किये गये। विपक्षीगणों को जारी नोटिस बाद तामील रिकार्ड पर उपलब्ध है। किन्तु सूचित होने के उपरान्त भी विपक्षीगण नियत सुनवाई पर वास्ते अपना पक्ष रखने, हाजिर नहीं होने से उनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये गये। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर अधिवक्ता प्रार्थी को सुना गया। प्रस्तुत बहस प्रार्थनापत्र पर गौर किया गया। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व अभिलेखों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण के अवलोकन से यह तथ्य प्रमाणित हैं कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थीगण के खाते की कृषि भूमि हैं और इस प्रकार न्यायिक दृष्टि से एक खातेदार अपने खाते की कृषि भूमि की पत्थरगढ़ी कराने का हकदार हैं। अतः प्रार्थनापत्र प्रार्थी न्याय हित में स्वीकार योग्य प्रतीत होता है।


उपखण्ड अधिकारी
फूलिया कला, जिला-भीलवाड़ा

आदेश

प्रार्थी का प्रार्थनापत्र विरुद्ध विपक्षीगण स्वीकार किया जाकर वाके ग्राम कोठिया पटवार मण्डल कोठिया भूअ.नि. अरवड तहसील फुलियाकंला मे उसके खाते की कृषि भूमि खतौनी संख्या 309 के आ.न. 540, 541 किता 2 रकबा 1.03 हैक्टर, भूमि की पत्थरगढी बसामलात पक्षकारान की जाने का आदेश पारित किया जाता है। उक्त आदेश की पालना के लिए भू-अभिलेख निरीक्षक अरवड को नियमानुसार फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस प्रार्थीगण द्वारा अदा की जायेगी। भू-अभिलेख निरीक्षक पत्थरगढी से न्यूनतम तीन दिन पूर्व सभी पडौसियान को उपरोक्त आराजियात की पत्थरगढी हेतु लिखित सूचना पत्र से समय एवं तिथि बाबत सूचित करेगे। मौके पर विवाद होने, किसी अन्य न्यायालय से आराजीयात पर स्थगन होने की दशा में तथा मौके पर खडी फसल होने की स्थिति में पत्थरगढी नहीं की जावें। पक्षकारान उभयपक्ष की मौजूदगी में ही पत्थरगढी की जावें। मुस्तकीन बिन्दू को आधार मानकर पत्थरगढी किए जाने का आदेश प्रदान किया जाता है। आदेश की प्रति पालनार्थ तहसीलदार फुलियाकंला को भिजवाई जावे। खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करें। पत्रावली फेसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। यह आदेश आज दिनांक 05.04.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(राजकेश मीना)

उपखण्ड अधिकारी,
फुलियाकंला, जिला भीलवाडा